

प्रेषण

पीठके उपात्रों  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संक्षेप में

अपर प्रमुख वन संस्कारक / नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तात्मण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कलोनी देहरादून।

पन एवं पर्याप्ति अनुसार—५

**विषय:** जनपद पिंडीशागढ़ में मण्डलीरीगोप रजवार-झोकटा-धुसली शोटर जारी के निर्माण हेतु 3.87. हौंड सिविल यन मूर्मि का गैर वानिकी कार्रों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्द्धन करने के सम्बन्ध में।

महाकाल

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2613/FP/UK/ROAD/8887/2014 दिनांक 18 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रघुपाल जनपद पिण्डीशाह में भण्डारीगाँव रजाकार-ओकटा-धुराली मोटर मार्ग के निर्भाण हेतु 3.87, है० सिंचित बन भूमि का गैर पानिकी कार्यों हेतु लोक निर्भाण किनारे को प्रत्यावर्तन दर्शन की संस्थानिक स्तीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं धन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफएन०-११-०९/९८-एफ० सी० दिनांक ०७ नवम्बर, २०१४ एवं पत्र संख्या एफ०न०-११-०९/९८-एफ०री० दिनांक १३ फरवरी, २०१४ में निहित प्रायद्यानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रश्नोग करते हुए अधिकारियों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अभिकरण हारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित मूलि के बदले 7.74, है० सिविल सोधम भूमि पर क्षतिपूरक दृकों का घोषित वृक्षाशोपण एवं 10 दर्जों तक रखरखाव हेतु आवश्यक घनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त मूलि वन विभाग के स्पष्टित के बाद है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः मह में अरक्षित / संरक्षित वन मूलि धोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्थीकृति निर्गत मानी जाएगी।
  - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पर्वे स्थलों पर नियमानुसार यथोदित् दृकों का वृक्षाशोपण एवं 10 दर्जों तक रखरखाव हेतु आवश्यक घनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
  - प्रयोक्ता अभिकरण हारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिए पिटीशन (सिविल) 202/1985 के अंतर्गत आईएएस-566 एवं भारत रेकर्ड पत्र रा०-५-३/२००७-एफटी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध पांगान मूल्य (एना०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
  - प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का विवेदन द्वारा प्रस्तुत करेंगे कि सम्म स्तर से पौद्द०-एना०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो यदि हुई घनराशि प्रयोक्ता अभिकरण हारा जमा की जाएगी।
  - प्रयोक्ता अभिकरण हारा भारत रेकर्ड के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफटी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुपेतों के अनुपास एना०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पृष्ठाशोपण निष्ठ प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एसपी०-२५२२३, कापारिशन बैठ (भारत रेकर्ड यज चपकार), ब्लाक-११ भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैंड्स, फैज-१, लोधी शेष, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का यैक ड्राफ्ट / वेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के रांदर्म में अनुपालन आल्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का सदवार विकरण अर्थात् एना०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षाशोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षाशोपण तथा अन्य देव धनराशियों का विकरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्थीकृति मान्य होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-पैशाचिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्टी के द्वारा बन आविकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण-पत्रों को लफलथ कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्टी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की विधति गैर राज्य सरकार, पर्यावरण एवं बन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षिता है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति दिर्गत की जाएगी।

मवदीय,

(पी.एम.पाठी)  
अपर सचिव।

संख्या: 151 (1)X-4-15/(65)/2015, तात्पर्यांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख बन संस्कारक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, एफडीआर आई०, चत्तराखण्ड देहशदून।
2. महालोकाकार, लेखा एवं हक्कदारी, उत्तराखण्ड, देहशदून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०ए०जी०ए००वाई०, उत्तराखण्ड शासन।
4. बन संस्कारक, उत्तरी कुमाऊँ नूला, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, फिरोरागढ़।
6. प्रभागीय बनाधिकारी, पिथौरागढ़ बन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिकारी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राज्यीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहशदून को इस आराय से प्रेषित कि, कृपया इस शासनावेश को एन०आई०सी० की ऐबसाइट पर अपलोड करने का कर्तव्य करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)  
अपर सचिव।